देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 895 /भू अ0 दिनांक : 01/12/17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–नावाडीह, थाना–मधुपुर, थाना सं०– 214, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **देवघर मधुपुर** पथ **निर्माण** परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–नावाडीह, थाना–मधुपुर, थाना सं०–214, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **1.36 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल वर्गफीट में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	466	रैयती	बाड़ी–2	0.68	लखन मंडल पे० स्व0 सकरू मंडल वो लालचन मंडल वो भूनेश्वर मंडल पे० स्व० बतीस मंडल वो धनराज मंडल वो मुन्नो मंडल वो टुना मंडल पे० स्व0 महादेव मंडल वो छटु मंडल पे० स्व0 मनराज मंडल अंश समान सा० देह।	मौजा बदिया, न० 296	मौजा मोहनपुर, नं० 216	अर्जित अंश दाग नं०	अर्जित अंश दाग नं०
2	13	255	रैयती	बाड़ी–2	0.40	अर्जुन राय पे० स्व0 जनार्दन राय वो अंबिका राय वो दीनदयाल राय पे० स्व0 भूदेव राय वो द्वारिका राय वो दीवाकर राय वो मुरारी राय पे० स्व0 जगदीश राय वो सुधीर राय वो हलधर प्र० राय पे० शीतल राय वो अखिलेश्वर राय पे० स्व0 टीपन राय वो किरण देव्या पति प्रकाश राय वो रविन्द्र राय वो हृदय ना० राय पे० राधारमण राय वो बद्री राय वो कामदेव राय वो सुकदेव राय पे० स्व0 खेतु राय वो सुरेश राय वो कमलेश्वर राय पे० स्व0गोविन्द राय वो सरजू राय वो विष्णु राय पे० स्व0 जय कुमार राय वो बासुदेव राय वो मामलेश्वर राय पे० गजानन्द राय वो पुरूषोत्तम राय वो महेन्द्र राय पे० स्व0 रामेश्वर राय वो संतुराय पे० परमेश्वर राय वो ब्रम्हदेव राय वो कार्तिक राय पे० स्व0 पुड़ी राय वो अनिल राय वो सुनिल राय पे० स्व0 नागेश्वर राय वो बलदेव राय वो सत्यनारायण राय पे० स्व0 राम प्र० राय वो राम सेवक राय वो भूवनेश्वर राय वो चन्द्रमोलेश्वर राय पे० स्व0 छत्रधारी राय अंश समान।				
3	13	333	रैयती	बाड़ी–2	0.28	तथैव।				
				कुल रकवा–	1.36					

E:\2015 L.A (B.K.)\All Project for Road\Deoghar to Madhupur Road\Adhisuhna\4rth time\Nawadih.docx

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30 / 2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय / विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

Rahul
29/11/17
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 895 / भू अ0, देवघर, दिनांक 01/12/17
प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण / पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

Rahul
29/11/17
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।